तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
5-9-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	
20.09.2019	वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 151 व 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आदेश के पृष्ठ संख्या 7 की अन्तिम लाईन व डिक्री दिनांक 05.09.2019 की आठवी पक्ति में प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह सहवन से दर्ज हो गया है, कि प्रतिवादी संख्या 1 हरबंससिंह है। जिसको दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को ही दोहराते हुए उक्तानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता कथनो पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 05.09.2019 में संशोधन किया जाकर **"निर्णय दिनांक 05.09.2019 के पृष्ठ संख्या 7 की अन्तिम लाईन व डिक्री दिनांक 05.09.2019 की आठवी पक्ति में प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह"** जो लिपिकिय त्रुटि से दर्ज हो गया है को विलोपत करते हुए उसके स्थान पर **"प्रतिवादी संख्या 1 हरबंससिंह"** का संशोधन किया जाता है। उक्त आदेश निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 05.09.2019 का भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा (कपिल यादव) **उपखण्ड अधिकारी एवम्** **पदेन सहायक कलक्टर** **हनुमानगढ़**	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 440/2018

1 कमलदीप सिंह
2 नरेन्द्र सिंह
} पुत्रान श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक शमशान घाट, करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 हरबंश सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 12, करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 सन्तोष कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
3 परविन्द्र कौर पुत्री हरबंश सिंह पत्नि श्री लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी सदा सिंह वाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
4 रमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री निर्मलजीत सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 02, चक प्रतापपुरा, तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5 रमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री राय सिंह जाति जटसिख निवासी सन्धुओ की ढाणी, 23 एल.एन.पी., जिला श्री गंगानगर (राज.)
6 अमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 04, चक 4 के.आर.डब्लयू. (अमरगढ) तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता — वादी
2. श्री श्रवण कुमार सौलकी — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 35 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 72/74, खाता प्रगट सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 87/309, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22, पत्थर नम्बर 86/309 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 12 ता 25, पत्थर नम्बर 86/310, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 12, पत्थर नम्बर 87/310 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 87/314, मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 22, 23, पत्थर नम्बर 87/315 मुरब्बा नम्बर 65 किला नम्बर 2, 3 कुल किता 38 कुल क्षेत्रफल 9.614 हैक्टर (9.389 हैक्टर नहरी व 0.225 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में से 1.644 हैक्टर, चक 35 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 9/9, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 86/306, मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 3/1/.013, 3/2/.240, 4 ता 25, पत्थर नम्बर 86/308, मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 11 ता 25, पत्थर नम्बर 86/309, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2 ता 5 कुल किला 45 कुल क्षेत्रफल 11.132 हैक्टर (10.994 हैक्टर नहरी, 0.125 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी) में 1/3 हिस्सा यानि 3.710 हैक्टर एंव चक 37 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/10, खाता कलवन्त सिंह आदि,

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 85/309, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 ता 12 कुल किला 11 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.733 हैक्टर नहरी व 0.050 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में 1/3 हिस्सा यानि 0.928 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

दफा 2 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण सख्या 2 ता 6 के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 की शादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अच्छे घरो में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 का बनता था वो उनके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा निम्न प्रकार है :–

(क) वादी संख्या 1 कमलदीप सिह व वादी सख्या 2 नरेन्द्र सिंह को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 35 एस.एस.डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 9/9, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 86/306, मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 3/1/0.013, 3/2/.240, 4 ता 25, पत्थर नम्बर 86/308, मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 11 ता 25, पत्थर नम्बर 86/309 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2 ता 5 कुल किला 45 कुल क्षेत्रफल 11.132 हैक्टर (10.994 हैक्टर नहरी, 0.125 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी) में 1/3 हिस्सा यानि 3.710 हैक्टर एंव चक 37 एस.एस. डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/10, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 85/309, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 ता 12 कुल किला 11 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.733 हैक्टर नहरी व 0.050 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में 1/3 हिस्सा यानि 0.928 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2–1/2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर के हकदार है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 हरबंश सिंह को चक 35 एस.एस.डब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 72/74, खाता प्रगट सिंह आदि, जमाबन्दी सम्बत 2074–77 के पत्थर नम्बर 87/309, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22, पत्थर नम्बर 86/309, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 12 ता 25, पत्थर नम्बर 86/310, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 12, पत्थर नम्बर 87/310 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 87/314, मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 22, 23, पत्थर नम्बर 87/315 मुरब्बा नम्बर 65 किला नम्बर 2, 3 कुल किता 38 कुल क्षेत्रफल 9.614 हैक्टर (9.389 हैक्टर नहरी व 0.225 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में से 1.644 हैक्टर का हकदार है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव – संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित खाता में घराघरू बंटवारा के अनुसार दफा 3 में वर्णित के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहा है। वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारो के मध्य सहमति हुई थी।

लगातार 3

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(5)

वादीगण इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादीगण के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एंव वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादीगण के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादीगण घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मताविक वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज वादीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 35 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 9/9, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 86/306, मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 3/1/.013, 3/2/.240, 4 ता 25, पत्थर नम्बर 86/308, मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 11 ता 25, पत्थर नम्बर 86/309, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2 ता 5 कुल किला 45 कुल क्षेत्रफल 11.132 हैक्टर (10.994 हैक्टर नहरी, 0.125 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी) में 1/3 हिस्सा यानि 3.710 हैक्टर एंव चक 37 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/10, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 85/309, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 ता 12 कुल किला 11 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.733 हैक्टर नहरी व 0.050 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में 1/3 हिस्सा यानि 0.928 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2–1/2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर की घोषणा वादी सख्या 1 व 2 के नाम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रदान करना उचित समझे दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.01.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिबार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ा हक व हिस्सा की कृषि भूमि निम्न है :–

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(क) वादी संख्या 1 कमलदीप सिह व वादी सख्या 2 नरेन्द्र सिंह को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 35 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 9/9, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 86/306, मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1, 2, 3/1/.013, 3/2/.240, 4 ता 25, पत्थर नम्बर 86/308, मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 11 ता 25, पत्थर नम्बर 86/309, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2 ता 5 कुल किला 45 कुल क्षेत्रफल 11.132 हैक्टर (10.994 हैक्टर नहरी, 0.125 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता व 0.013 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी) में 1/3 हिस्सा यानि 3.710 हैक्टर एंव चक 37 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/10, खाता कलवन्त सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के पत्थर नम्बर 85/309, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 2 ता 12 कुल किला 11 कुल क्षेत्रफल 2.783 हैक्टर (2.733 हैक्टर नहरी व 0.050 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में 1/3 हिस्सा यानि 0.928 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2–1/2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सहमत हुये है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 हरबंस सिंह को चक 35 एस.एस.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 72/74, खाता प्रगट सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 87/309, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 11, 20, 21, 22, पत्थर नम्बर 86/309, मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 12 ता 25, पत्थर नम्बर 86/310, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 12, पत्थर नम्बर 87/310 मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, पत्थर नम्बर 87/314, मुरब्बा नम्बर 58 किला नम्बर 22, 23, पत्थर नम्बर 87/315 मुरब्बा नम्बर 65 किला नम्बर 2, 3 कुल किता 38 कुल क्षेत्रफल 9.614 हैक्टर (9.389 हैक्टर नहरी व 0.225 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता) में से 1.644 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए सहमत हुये है।

प्रशनगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसके उपरोक्त घरेलू बंटवारा से वादीगण एंव प्रतिवादीगण सहमत है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादीगण का घरेलू बंटवारा माना जाकर घोषणा की जाती है तो हम पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वादीगण की बहिने अपने हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ने को सहमत है तथा हम प्रतिवादीगण उक्त राजीनामा से सहमत है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 1 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाब व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा की दफा 1 की उपचरण क व ख के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया जावे एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 5

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

(7)

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह के नाम चक 5 37 एस.एस.डब्ल्यू के खाता संख्या 10/10 की कुल 2.783 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व चक 35 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 9/9 की 11.132 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 37 एस.एस.डब्ल्यू के खाता संख्या 10/10 की कुल 2.783 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व चक 35 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 9/9 की 11.132 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह का नाम कलमजन

लगातार 6

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(8)

किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रगण वादी संख्या एक कमलदीपसिंह वादी संख्या दो नरेन्द्रसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.09.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(9)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 440/2018

1 कमलदीप सिंह } पुत्रान श्री हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक शमशान घाट
2 नरेन्द्र सिंह } करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.) — — वादीगण

–:: बनाम ::–

1 हरबंश सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 12, करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 सन्तोष कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 06, अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
3 परविन्द्र कौर पुत्री हरबंश सिंह पत्नि श्री लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी सदा सिंह वाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)
4 रमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री निर्मलजीत सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 02, चक प्रतापपुरा, तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5 रमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री राय सिंह जाति जटसिख निवासी सन्धुओ की ढाणी, 23 एल.एन.पी., जिला श्री गंगानगर (राज.)
6 अमनदीप कौर पुत्री श्री हरबंश सिह पत्नि श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 04, चक 4 के.आर.डब्लयू. (अमरगढ) तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज.)

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 05.09.2019

वादीगण की और से श्री शिवराजसिह खोसा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री श्रवण कुमार सोलंकी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 05.09.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 37 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 10/10 की कुल 2.783 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व चक 35 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 9/9 की 11.132 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कलवन्तसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्रगण वादी संख्या एक कमलदीपसिंह वादी संख्या दो नरेन्द्रसिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —		
आदेशिका की तामिल	— —	कमिश्नर की फीस	— —
योग	— —	योग	— —

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:32:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: